

2017/00048

दाताराम राधेश्याम

24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुख्यालय सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी -विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या-22/2017

दाताराम पुत्र स्व0 श्री फोंदी जाति गडरिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

-----वादी

बनाम

- 1-राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री फोंदी
- 2-पीतम
- 3-महेश पुत्रगण स्व0 द्वारिकाप्रसाद
- 4-लीलावती पुत्री स्व0 श्री द्वारिकाप्रसाद जाति गडरिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
- 5-संजूदेवी पत्नी श्री पीतमसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
- 6-पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर
- 7-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं
स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति-

- 1-श्री दाताराम - वादी
- 2-श्री राधेश्याम वगैरा - प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :11.7.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा 226, 227, 370, 378, 400, 508, 632, 633 वाके ग्राम बरा, आराजी खसरा नम्बर 404, 631 वाके ग्राम बरा तहसील सैपऊ, 1673/1258, 1676/1259 वाके ग्राम बरा का पुरा, 1672/1258, 1675/1259 वाके ग्राम बरा का पुरा तहसील सैपऊ का वास्ते बटवारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया। उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 19.6.2017 को दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार कार्यवाही कर अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। तहसीलदार सैपऊ द्वारा


उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये किये जाना प्रतीत होता है ।
 एसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित
 समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से
 डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम बरा व बरा का पुरा तहसील
 सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1- राधेश्याम पुत्रश्री फोदी जाति गडरिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ

क०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	400 / 1	0.19	ग्राम बरा
	1676 / 1259	0.15	ग्राम बरा का पुरा

कुल 02 1.14

2-संजूदेवी पत्नी पीतमसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ

क०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	226	0.15	ग्राम बरा
	227 / 1	0.15	ग्राम बरा

कुल 02 1.10

3-दाताराम पुत्रश्री फोदी जाति गडरिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ

क०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	370 / 1	0.06	ग्राम बरा
	378 / 1	0.05	
	400 / 3	0.05	
	508 / 1	0.11	
	632	0.11	
	633	0.09	
	404 / 2	0.10	
	1673 / 1258	0.03	ग्राम बरा का पुरा
	1675 / 1259 / 2	0.03	

कुल 09 3.03

4-पीतम, महेश पुत्रगण द्वारिकाप्रसाद, लीलावती पुत्री द्वारिकाप्रसाद जाति गडरिया निवासी
 ग्राम बरा तहसील सैपऊ

क०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	227 / 2	0.02	ग्राम बरा
	370 / 2	0.07	
	378 / 2	0.05	
	400 / 2	0.04	



उपरोक्त अधिकारी सैपऊ
 (पीतमसिंह अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
 ग्राम बरा तहसील

508 / 2	0.11
631	0.18
404 / 1	0.10
1672 / 1258	0.02
1675 / 1259 / 1	0.04

ग्राम बरा का पुरा

कुल	09	3.03
-----	----	------

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीजसीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत